



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032026-271010  
CG-DL-E-18032026-271010

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1306]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 16, 2026/फाल्गुन 25, 1947

No. 1306]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 16, 2026/PHALGUNA 25, 1947

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2026

**का.आ. 1365(अ).**— श्री दीप चंद्र जोशी का राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 16.03.2026 को समाप्त होने के परिणामस्वरूप श्री बचु वेंकट बलराम दास, सदस्य (न्यायिक), एनसीएलटी के वरिष्ठतम सदस्य, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 415(1) के अनुसार एनसीएलटी के अध्यक्ष के रूप में 17.03.2026 से 6 महीने की अवधि के लिए या नियमित अध्यक्ष की नियुक्त होने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, कार्य करेंगे।

[फा. सं. ए- 45011/534/2025-प्रशा. IV-एमसीए]  
अनिता शाह आकेल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2026

**S.O. 1365(E).**—Consequent on the completion of the term of Sh. Deep Chandra Joshi as Acting President, National Company Law Tribunal (NCLT) on 16.03.2026, Sh. Bachu Venkat Balaram Das, Member (Judicial), the senior-most Member in NCLT, shall act as President, NCLT in terms of Section 415 (1) of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) for a period of six months from 17.03.2026 or until a regular President is appointed or until further orders, whichever is the earliest.

[F. No. A-45011/534/2025-Ad.IV-MCA]  
ANITA SHAH AKELLA, Jt. Secy.